



POLICE COMMISSIONERATE



PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 28.01.2025

थाना सरायममरेज पुलिस टीम द्वारा 04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सरायइनायत पर पंजीकृत मु0अ0सं0-013/2025 धारा-190/191(2)/191(3)/115(2)/352/109 भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित 04 वांछित अभियुक्त 1. आरिफ शेख पुत्र लाल मोहम्मद निवासी ग्राम तिलकठ थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज 2. राज ठाकुर पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम हरदुवा (सकरवारी) थाना दुर्गागंज जनपद भदोही 3. विशाल यादव उर्फ मंगला यादव पुत्र सुदर्शन यादव निवासी ग्राम बसेरवा थाना मीरगंज जनपद जौनपुर 4. अर्जुन बिन्द पुत्र अच्छे लाल बिन्द निवासी ग्राम नेदुला थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना सरायममरेज क्षेत्रान्तर्गत जंघई-जरौना मार्ग पर स्थित रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियुक्तों की कब्जे/निशांदादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 कारतूस, 01 तलवार, 01 हाकी, 01 डण्डा बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि दिनांक-22.01.2025 को थाना सरायममरेज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ककरहा जंघई में पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से मारपीट की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना सरायममरेज पर मु0अ0सं0-013/2025 उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. आरिफ शेख पुत्र लाल मोहम्मद निवासी ग्राम तिलकठ थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 20 वर्ष।

2. राज ठाकुर पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम हरदुवा (सकरवारी) थाना दुर्गागंज जनपद भदोही, उम्र करीब 23 वर्ष ।
3. विशाल यादव उर्फ मंगला यादव पुत्र सुदर्शन यादव निवासी ग्राम बसेरवा थाना मीरगंज जनपद जौनपुर, उम्र करीब 20 वर्ष ।
4. अर्जुन बिन्द पुत्र अच्छे लाल बिन्द निवासी ग्राम नेदुला थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 19 वर्ष ।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-013/2025 धारा-190/191(2)/191(3)/115(2)/352/109 भा0न्या0सं0 व बढ़ोत्तरी धारा-3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 कारतूस (अभियुक्त आरिफ शेख उपरोक्त के कब्जे से)
- 01 तलवार (अभियुक्त राज ठाकुर उपरोक्त के कब्जे से)
- 01 हाकी (अभियुक्त विशाल यादव उर्फ मंगला उपरोक्त के कब्जे से)
- 01 डण्डा (अभियुक्त अर्जुन बिन्द उपरोक्त के कब्जे से)

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 संजय कुमार मौर्य चौकी प्रभारी जंघई थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. व0उ0नि0 अरूण कुमार, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. उ0नि0 उमाकान्त, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
4. उ0नि0 सौमित्र सिंह, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
5. उ0नि0 अवनीश कुमार, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
6. उ0नि0 अमरदेव, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
7. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार सिंह, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
8. हे0का0 झारखण्डे, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
9. हे0का0 विरेन्द्र यादव थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
10. हे0का0 कमलेश यादव, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज ।

थाना मेजा पुलिस/एसओजी यमुनानगर एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा हत्या का खुलासा कर हत्या कारित करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार कर उसके निशानदेही पर आलाकत्ल बरामद किया

थाना मेजा पुलिस/एसओजी यमुनानगर एवं सर्विलांस सेल यमुनानगर जोन की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 28.01.2025 को बिंद चौराहे से मुअसं 38/25 धारा 103(1)/238(क) बीएनएस में वाछित अभियुक्त सूर्यप्रकाश बिंद पुत्र श्री बलराम बिंद निवासी ग्राम श्यामनगर चपौर थाना मेजा प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया व उसके निशानदेही पर आलाकत्ल बरामद कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी।

संक्षिप्त विवरण -

अवगत कराना है कि थाना मेजा पर दिनांक 24.01.2025 को मनीष कुमार बिन्द पुत्र विजय शंकर बिन्द नि० श्यामनगर चपौर थाना मेजा प्रयागराज द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के बडे भाई आशीष कुमार बिन्द उम्र करीब 30 वर्ष की हत्या कर देने के सम्बन्ध में मुअसं 0038/2025 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त घटना के खुलासे के क्रम में आज दिनांक 28.01.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर बिन्द चौराहा से गिरफ्तार कर उसके निशानदेही पर एक अदद लाठी (आलाकत्ल) बरामद कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

दौराने पूछताछ अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मै मृतक आशीष कुमार बिन्द की पत्नी से प्यार करता हूँ मै किसी भी कीमत पर उसको पाना चाहता था। मेरे और आशीष की पत्नी के बीच में आशीष कुमार बिन्द अड़चन बन रहा था जिसे मै रास्ते हटाकर ही आशीष की पत्नी को पा सकता था।

इसलिए मैने आशीष कुमार बिन्द को डण्डे से मारकर उसकी हत्या कर दिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

सूर्यप्रकाश बिंद पुत्र श्री बलराम बिंद नि० ग्राम श्यामनगर चपौर थाना मेजा प्रयागराज उम्र करीब 19 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण -

मुअसं - 0038/2025 धारा 103(1)/238(क) बीएनएस थाना मेजा।

बरामदगी का विवरण -

एक अदद लाठी (आलाकत्ल), मृतक के जूते व मफलर, अभियुक्त के जूते

गिरफ्तार करने वाली थाना मेजा पुलिस टीम-

1. प्र०नि० राजेश उपाध्याय
2. उ०नि० हरिहरनाथ त्रिपाठी
3. हे०का० जयप्रकाश मिश्रा
4. हे०का० जितेन्द्र कुमार
5. का० आकाश पाण्डेय

सर्विलांस टीम -

1. उ०नि० प्रमोद यादव(सर्विलांस प्रभारी)
2. का० विजय सिंह
3. का० अजय सिंह
4. का० रवि यादव

एसओजी यमुनानगर टीम –

1. उ०नि० नवीन कुमार सिंह (एसओजी प्रभारी)
2. हे०का० फिरोज खान
3. हे०का० चालक दिनेश सिंह
4. का० रंजीत यादव
5. का० आकाशदीप सिंह
6. का० अनुराग यादव
7. का० जसवीर सिंह
8. का० सिद्धेश्वर पाण्डेय
9. का० मनोज कुमार